न्यायालय सिविल जज(वरीय कोटि)–III, कहलगॉव, भागलपुर

पीठासीन पदाधिकारीः– मो0 तसनीम कौसर

दीवानी वाद संख्या–512/2013

लक्ष्मण महलदार व अन्य.....(वादीगण)

बनाम

देव कुमार तिवारी व अन्य.....(प्रतिवादीगण)

आदेश

21.11.2025:–

अभिलेख आज निर्णय हेतु प्रस्तुत हुआ। अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख के अवलोकन से आदेश फलक में कुछ त्रुटियॉ उजागर हुई। सर्वप्रथम अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि वाद ग्रहण के पश्चात् वादी की ओर से एक प्रतिस्थापन आवेदन दिनांक 24.11.2014 को प्रतिवादी संख्या 1,3,4,5,6,7 एवं 8 के मृत्यु के सम्बन्ध में दिया गया। जिसे दिनांक 19.02.2014 को स्वीकृत करते हुये मृतक प्रतिवादियों के वारिसान को प्रतिस्थापित करने का आदेश पारित हुआ। दिनांक 06.02.2016 को प्रतिवादी प्रथम पक्ष के विरूद्ध एक पक्षीय सुनवाई का आदेश पारित हुआ। दिनांक 09.03.2016 को प्रतिवादी द्वितीय पक्ष (वारिसानगण) संख्या 4a, 4b, 4c, 5a, 5b, 5c, 6a, 6b, 6c, 7a, 7b तथा 8a न्यायालय में उपस्थित हुये तथा अपनी ओर से बयान तहरीर दाखिल किया। प्रतिवादी संख्या 4a की भी मृत्यु हो गयी जिसके वारिसान दिनांक 05.12.2017 को 4a(i) तथा 4a(ii) प्रतिस्थापित हुये। परन्तु दिनांक 16.11.2018 को प्रतिवादीगण के विरूद्ध एक पक्षीय सुनवाई का आदेश पारित हो गया। जबकि प्रतिवादी संख्या 4a मर चुके हैं तथा 4b से 8a तक प्रतिवादी द्वितीय पक्ष हाजिर होकर अपना बयान तहरीर दाखिल कर चुके हैं। प्रतिवादी प्रथम पक्ष के विरूद्ध दिनांक 06.02.2016 को ही एक पक्षीय सुनवाई का आदेश पारित हो चुका है। केवल प्रतिवादी संख्या 4a(i) तथा 4a(ii) नोटिस निर्गत होने के वावजूद न्यायालय में हाजिर नहीं हुयें हैं। इनके विरूद्ध अभी गजट प्रकाशन नहीं हुआ है।

वादी के अधिवक्ता वाद की अद्यतन स्थिति स्पष्ट करें। उपस्थित प्रतिवादीगण वाद में अचित पैरवी करें। कार्यालय उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ता को अभिलेख seen करायें। दिनांक 04.12.2025 को अभिलेख प्रस्तुत करें।

सिविल जज(वरीय कोटि)-III
कहलगॉव(भागलपुर)